न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–11/2025
जीसीएमएस नं:–2025/101

राजकुमार पुत्र मनीराम जाति मेघवाल निवासी 15 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

वकील उपस्थित–

1. श्री सुखविन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 27/05/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक की कृषि भूमि वाके चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ का पत्थर नं.–239/450 मुरब्बा नं.–76 के किला नं.–5 में 0.253 हैक्टर में आवामन के लिए रकबा राज की भूमि वाके चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–240/455 मुरब्बा नं.–9 के किला नं.–25/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावें तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड मे करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ के प्रकरण में वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का एवं गिरदावर से प्राप्त रिपोर्ट एवं रिकार्ड के अनुसार चक 59 जीबी का पं.नं.–240/445 का किला नं.–25/2 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर–मुमकिन खाला दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उसकी भूमि के चिपता हुआ नहीं है। जबकि प्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि इस भूमि से करीब 4 मुरब्बा यानि 1000 मीटर दूरी पर पं.नं.–239/450 के किला नं.–5 में स्थित हैं जिसके लिए मौका पर पं.नं.–239/450 के किला नं.–10, 09, 08, 07, 06 व पर पं.नं.–238/450 के किला नं.–10, 09, 08, 07, में से होकर चालू रास्ता पूर्व की ओर स्टेट हाईवे (अनूपगढ़ से सूरतगढ़) तक जाता हैं जो कि राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी लगभग 2 वर्षों से उक्त चालू रास्ता से अपने खातेदार रकबा में आवागमन करता है। प्रार्थी को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

में जाने के लिए चक 59 जीबी का पं.नं.–240/445 का किला नं.–25/2 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरमुमकिन खाला दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता उसकी भूमि के चिपता हुआ नहीं है। जबकि कानूनन खातेदार कृषक की खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251 ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर